


58

JR 509/18



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

26505



वार्ड - गोमती नगर

स्टाम्प - 500/- रुपये

वेद एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट

हम डा० अमरेश पुत्र स्व० वेद प्रकाश गुप्ता, निवासी 2/58, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ एवं डा० संतोष पाण्डेय पुत्र श्री श्रीकान्त पाण्डेय, निवासी-3/254, विराम खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, व्यवसाय सामाजिक सेवा (जो इस ट्रस्ट के संस्थापक न्यासीगण हैं)

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



हम इस न्यास विलेख पत्र के माध्यम से वेद एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट का गठन कर रहे हैं तथा आज दिनांक 28/07/2018 को न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) से उपरोक्त वर्णित न्यास की स्थापना की घोषणा करते हैं।

नाम - वेद एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट

पता/कार्यालय - 2/58, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

कार्य क्षेत्र - सम्पूर्ण भारत वर्ष।

उपरोक्त ट्रस्ट की 10,000/- रूपये के अलावा कोई चल-अचल सम्पत्ति नहीं है।

न्यास के उद्देश्य :-

1. शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने हेतु हास्पिटल, स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय, छात्रावास इत्यादि की स्थापना एवं उनका संचालन करना तथा विधि, कला, संगीत, विज्ञान, कला के अन्य क्षेत्र जैसे संगीत, नाटक, एंकाकी व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित व इस प्रकार की गतिविधियों को प्रोत्साहन करना तथा इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कोष की स्थापना करना, दान लेना व अनुदान प्राप्त करना।
2. छात्रों को शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने के लिये छात्रवृत्ति मानदेय, पुरस्कार आदि का प्रबन्ध करना व स्कूल, कॉलेज व संस्थान में प्रशिक्षण, शोध व सेमीनार आदि आयोजित करना व विदेश में शिक्षा प्राप्ति हेतु सहयोग प्राप्त करना तथा इस उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कोष की स्थापना करना, दान लेना एवं अनुदान प्राप्त करना।
3. सभी लोगों के लिये प्राइमरी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की अंग्रेजी व हिन्दी माध्यम की शिक्षा हेतु यू०पी० बोर्ड, आई०सी०एस०सी०, आई०एम०सी०, सी०बी०एस०सी०, पाठ्यक्रम के पाठशालाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों व मेडिकल, इंजीनियरिंग, वाणिज्यिक, कला संस्कृत, पाठशालाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों की स्थापना प्रबन्ध, संचालन व शिक्षा का प्रचार-प्रसार

Amud

अनुपम

करना। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों व संवर्णों के लिये आई।ए।एस।, पी।सी।ए।, सी।पी।एम।टी।, डाक्टरी, इंजीनियरिंग आदि सभी परीक्षाओं की परीक्षा पूर्व कोचिंग, प्रौढ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, क्राफ्ट कम्प्यूटर, तकनीकी शिक्षा, मोटर टैक्सी ड्राइविंग स्टील उद्योग, प्रिन्टिंग मशीन आपरेटर, कम्पोजिंग बुक बाईन्डिंग की प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना, प्रबन्ध संचालन व शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। सरकार की सहायता से विज्ञान के क्षेत्र में समस्त कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना।

4. सभी प्रकार के विकलांगों जैसे शारीरिक मानसिक, मूक बधिर, नेत्रहीन एवं कुष्ठ रोग से विकलांगों हेतु शैक्षिक एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण आवासीय एवं गैर आवासीय विद्यालयों की स्थापना संचालन करना एवं सहायक उपकरणों का क्रय वितरण कर निशक्त व्यक्तियों की सहायता योजना संचालित करना। सभी प्रकार के विकलांगों हेतु समस्त कल्याणकारी कार्य करना।
5. ग्रामीण गरीब और बीमार माताओं के बच्चों हेतु शिशु पालन केन्द्रों, बालबाड़ी केन्द्रों का संचालन करना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग व संवर्णों के बच्चों की शिक्षा हेतु आवासीय विद्यालयों की स्थापना तथा शिक्षित बेरोजगार एवं महिलाओं हेतु रोजगारेन्मुख शिक्षा की व्यवस्था करना। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, आदि के कल्याण के लिये सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों का संचालन करना।
6. भारत सरकार के मानव संसाधन विकास, कृषि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, रेल गृह, रसायन एवं उर्वरक, शहरी विकास, खनन, वित्त, लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग, जन जातीय मामले, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग जहाजरानी, वस्त्र उद्योग, वाणिज्य एवं उद्योग विधि एवं न्याय, ऊर्जा, ग्राम विकास, संसदीय कार्य सूचना एवं प्रसारण खेलकूद, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पंचायती राज, युवा कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर्यावरण एवं वन, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अल्पसंख्यक

Amish

12/11/20

वही संख्या 4 जिल्द संख्या 464 के पृष्ठ 323 से 352 तक क्रमांक 509 पर दिनांक 28/07/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


सन्तराम यादव प्रभारी

उप निबंधक : सदर द्वितीय

लखनऊ

28/07/2018

पिंट करे

